


288

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला ग्वालियर ₹म० प्र०
कैम्प कोर्ट रीवा जिला रीवा ₹म० प्र०

412

प्रकाश कान R-3250-1113



Rz. 201

1. शान्ती देवीपति दर्शन राम उम्र 85 साल पेशा गृहकार्य
2. रामखेलावन पिता दर्शन राम उम्र 54 साल पेशा खेती
3. दीनानाथ पिता दर्शन राम उम्र 50 साल पेशा खेती

सभी निवासी ग्राम जोरौधा तहसील गोपदबनास जिला सीधी ₹म० प्र०

आवेदकगण/निगरानी कत गिप

धिवक्ता श्री बी. के. लाला तिवाड़ी
डाटा प्रस्तुत
रीवा दि. 12-08-2013

बनाम

1. तीरथ राम पिता तेजाराम उम्र 80 साल पेशा खेती
2. दुर्गावती पत्नी स्व. रामजी राम उम्र 55 साल पेशा गृहकार्य
3. सियावती पति स्व. पप्पू उर्फ दयाशंकर उम्र 35 साल पेशा गृहकार्य
4. प्रकाश द्विवेदी पिता स्व. पप्पू उर्फ दयाशंकर उम्र 12 साल नवालिकसंरक्षिका
मतता सियावती पति स्व. दयाशंकर

सभी निवासी ग्राम जोरौधा तहसील गोपदबनास जिला सीधी ₹म० प्र०

अनावेदकगण/गैरनिगरानी कत गिप

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर
जिला सीधी म० प्र० के प्रकरपक्र० 313/निगरानी/
2008-09 आदेश दिनांक 29.5.2013 के विरुद्ध

निगरानी अन्तर्गत धारा 50, म० प्र० भू-
राजस्व संहिता 1959

=====

मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य:-

248
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.3250. II.13 जिला- सीधी

शांती देवी विरुद्ध श्रीकाजी

(1)	(2)
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री. जी. ए. एल. तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला- सीधी के प्रकरण क्रमांक 313/ क्रि. 108/09 में पारित आदेश दिनांक 29.5.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, सीवा संभाग सीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 16.04.19 को कमिश्नर, सीवा संभाग सीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">3 सदस्य</p>

मान्यवर,
निगरानी के सूत्र तथ्य:-